रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122025-268763 CG-DL-E-23122025-268763

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819] No. 819] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2025/पौष 2, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2025/PAUSHA 2, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.133.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थातु: -

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

8620 GI/2025 (1)

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 38 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) प्रत्येक समाधान योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

- (क) फायदाग्राही स्वामित्व संबंधी एक विवरणी, ऐसे प्ररूप में, जिसे इस संबंध में बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी नैसर्गिक व्यक्तियों के विवरण सम्मिलित होंगे, जिनका अंततोगत्वा समाधान आवेदक पर स्वामित्व या नियंत्रण है, तथा प्रत्येक मध्यवर्ती इकाई की शेयरधारिता संरचना और अधिकारिता सहित; और
- (ख) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में, इस बारे में एक शपथपत्र कि समाधान आवेदक धारा 32क के फायदे का पात्र है/नहीं है।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./555/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 676, तारीख 14 अक्तूबर, 2025 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.130, तारीख 14 अक्तूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (छठा संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Seventh Amendment) Regulations, 2025.

- **F. No. IBBI/2025-26/GN/REG133.** In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub- section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-
- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Seventh Amendment) Regulations, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, in regulation 38, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- "(3A) Every resolution plan shall include:
 - (a) a statement of beneficial-ownership, in a format to be notified through circular by the Board, covering details of all natural persons who ultimately owns or controls the resolution applicant, together with the shareholding structure and jurisdiction of each intermediate entity; and
 - (b) an affidavit, in a format specified by the Board, that the resolution applicant is eligible/not eligible for the benefit of section 32A."

RAVI MITAL, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./555/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Sixth Amendment) Regulations, 2025 published *vide* notification No. IBBI/2025-26/GN/REG130, dated the 14th October, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.676 on 14th October, 2025.